

# अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070

फोन : 011-29581027, 29581036 एवं 29581023 वेबसाईट : [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org)

## “तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना : 2020” की अंतिम तिथि बढ़ाने संबंधी

भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए हिन्दी में विभिन्न तकनीकी विषयों की उत्कृष्ट स्तर की मूल तथा अनुदित पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा हिन्दी की “तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना वर्ष 2020” के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी, प्रविष्टियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 मई, 2021 से बढ़ाकर दिनांक 30 जून, 2021 तक कर दिया गया है। इस योजना का पूरा विवरण और आवेदन पत्र अभातशिप की वेबसाईट [www.aicte-india.org/Bulletin](http://www.aicte-india.org/Bulletin)>advertisement पर उपलब्ध है तथा “निदेशक (प्रशासन)/हिन्दी अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् “नेल्सन मंडेला मार्ग, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070” को पत्र भेजकर भी मंगवाया जा सकता है। विधिवत् भरे हुए आवेदन पत्र तथा प्रकाशित कृति की दो प्रतियां, अभातशिप में दिनांक 30 जून, 2021 तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए।

नोट : “तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना 2020” की अंतिम तिथि को पुनः नहीं बढ़ाया जाएगा।

सदस्य सचिव, अभातशिप

# अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070

फोन : 011-29581027, 29581036 एवं 29581023 वेबसाइट : www.aicte-india.org

विज्ञापन संख्या: प्रशासन (हिंदी प्रकोष्ठ)/03(02)/2021 से संबंधित विवरण

## "तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना : 2020"

भारत सरकार की राजभा-ना नीति का अनुपालन करते हुए हिन्दी में विभिन्न तकनीकी वि-यों की उत्कृ-ट स्तर की मूल तथा अनूदित पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि-द् द्वारा तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना नामक महत्वाकांक्षी योजना वर्- 1998 से निरंतर जारी है । इस योजना का मूल उद्देश्य राजभा-ना (हिन्दी) में तकनीकी वि-यों की पाठ्यपुस्तकों के लेखन तथा अनुवाद को बढ़ावा देना और आधुनिकतम ज्ञान-विज्ञान को हिन्दी में उपलब्ध करवाने के लिए लेखकों तथा अनुवादकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है ।

परि-द् द्वारा "तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना वर्ष 2020" के लिए प्रवि-टियां आमंत्रित हैं । इस योजना में तकनीकी शिक्षा के विभिन्न वि-यक्षेत्रों अर्थात् इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, होटल प्रबंधन व खान-पान प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर व ग्राम आयोजना, प्रबंधन और भे-जी तथा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से संबंधित पाठ्यक्रमों आदि पर गत 6 वर्- (1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2020 तक प्रकाशित) में हिन्दी भा-ना में स्नातकोत्तर/स्नातक, पॉलिटेक्निक/डिप्लोमा तथा आईटीआई/तकनीशियन स्तर की शिक्षा की प्रकाशित मौलिक और/अथवा अनूदित पाठ्यपुस्तकों के लेखकों तथा अनुवादकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए निम्नानुसार विचार किया जाएगा :-

(i) तकनीकी पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार

हिन्दी में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर (यूजी/पीजी) की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु.1,25,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 75,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 50,000/-

हिन्दी में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 75,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 50,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 40,000/-

हिन्दी में आईटीआई/तकनीशियन स्तर की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 50,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 40,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 25,000/-

(ii) अंग्रेजी अथवा अन्य भाषा से हिन्दी में अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों के लिए पुरस्कार

हिन्दी में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री (यूजी/पीजी) तथा डिप्लोमा स्तर की अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 50,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 40,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 25,000/-

हिन्दी में आईटीआई/तकनीशियन स्तर की अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 40,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 25,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 15,000/-

इस योजना का पूरा विवरण और आवेदन पत्र अभातशिप की वेबसाईट [www.aicte-india.org/Bulletin](http://www.aicte-india.org/Bulletin)>advertisement पर उपलब्ध है तथा "हिन्दी अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि-न्द्, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसन्त कुंज, नई दिल्ली को पत्र भेजकर भी मंगवाया जा सकता है।

प्रकाशित कृति की दो प्रतियों सहित विधिवत् भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30 जून, 2021 तक परि-न्द् में अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए।

प्रो० राजीव कुमार  
सदस्य सचिव,

तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना 2020 के लिए आवेदन-पत्र (प्ररूप)

फोटो

1. (क) लेखक और / अथवा अनुवादक का नाम, : \_\_\_\_\_  
पद तथा पूरा पता (यदि एक से अधिक \_\_\_\_\_  
लेखक/अनुवादक हैं तो सभी के नाम तथा \_\_\_\_\_  
फोटो अपेक्षित है) \_\_\_\_\_
- (ख) लेखक / अनुवादक का वर्तमान कार्यक्षेत्र : \_\_\_\_\_
- (ग) शैक्षणिक योग्यता : \_\_\_\_\_
- (घ) संपर्क के लिए टेलीफोन नंबर : \_\_\_\_\_
- (ङ) ई-मेल (यदि कोई है) : \_\_\_\_\_  
यदि लेखक / अनुवादक एक से अधिक हैं : \_\_\_\_\_  
तो अन्य लेखकों/अनुवादकों का विवरण \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. मूल और / अथवा अनूदित : \_\_\_\_\_  
पुस्तक का वि-य तथा शीर्षक \_\_\_\_\_
- (क) प्रकाशन वर्ग : \_\_\_\_\_
- (ख) प्रकाशक का नाम व पता : \_\_\_\_\_
3. किस स्तर के विद्यार्थी के लिए यह : \_\_\_\_\_  
पुस्तक लिखी / अनूदित की गई है \_\_\_\_\_

घोषणा-पत्र

4. (क) मैंने/हमने पुरस्कार योजना के नियमों को पढ़ लिया है और मैं/हम उससे पूरी तरह सहमत हूँ/हैं। मैं/हम यह भी घो-णा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यह पुस्तक मूलतः मैंने/हमने लिखी /हिन्दी में अनूदित की है ।
- (ख) मैं/हम यह भी घो-णा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार बिल्कुल सही एवं सत्य है।
- (ग) यह पुस्तक मूल लेखक की सहमति एवं अनुमति से अनूदित की गई है और इसमें कोई कानूनी बाधा पेश नहीं आएगी अन्यथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरी/हमारी होगी । (केवल अनूदित पुस्तक के मामले में)
- (घ) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुस्तक को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया हो ।

यदि पुस्तक के लेखक और/अथवा अनुवादक एक से अधिक हैं तो सभी को घो-णा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे

हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

पूरा नाम : \_\_\_\_\_

पूरा पता : \_\_\_\_\_

तिथि : \_\_\_\_\_

स्थान : \_\_\_\_\_

5. टिप्पणी :

- (i) आवेदन-पत्र पर लेखक/लेखकों का फोटो अवश्य लगा हो तथा उस पर उसके/उनके हस्ताक्षर अवश्य हों ।
- (ii) निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) यदि कोई लेखक अपनी एक से अधिक पुस्तकें पुरस्कार के लिए प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पुस्तक के लिए अलग आवेदन-पत्र देना होगा ।
- (iv) संपर्क के लिए वर्तमान पता, स्थायी पता तथा टेलीफोन नं. का उल्लेख अवश्य करें । यदि निकट भवि-य में उनके अनयत्र स्थानांतरित होने की संभावना हो, तो भवि-य के संपर्क सूत्र का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए ।
- (v) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि-द् के पास पाठ्यपुस्तकों को पुरस्कार हेतु स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार होगा और इस वि-य में परि-द् का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
- (vi) पुरस्कारों के निर्धारण के संबंध में परि-द् का निर्णय अंतिम एवं सभी आवेदकों /लेखकों के लिए मान्य होगा ।

\*\*\*\*\*

# अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

## योजना का विवरण / नियम एवं शर्तें तथा ध्यान देने योग्य मुख्य बातें

### 1. योजना का नाम :

इस योजना का नाम "तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना" है ।

### 2. कार्यक्षेत्र :

इस योजना के अंतर्गत अभातशिप के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले तकनीकी शिक्षा से संबंधित वि-यक्षेत्रों अर्थात् इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, होटल प्रबन्धन एवं खानपान प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर व ग्राम आयोजना, प्रबंधन, अनुप्रयुक्त कला और भे-नजी (फार्मसी) तथा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) से संबंधित पाठ्यक्रमों आदि पर गत 6 वर्षों (1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2020 तक प्रकाशित) में डिग्री (यू.जी./पी.जी.), डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई./ तकनीशियन स्तर की हिन्दी भा-ना में प्रकाशित मौलिक और/अथवा अनूदित पाठ्यपुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा ।

### 3. उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजभा-ना (हिन्दी) में उपर्युक्त वि-यों में उत्कृ-ट पाठ्यपुस्तक लेखन तथा हिन्दी अनुवाद को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम ज्ञान-विज्ञान हिन्दी में उपलब्ध कराने के लिए लेखकों और तकनीकी वि-यों के अनुवादकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है ।

### 4. पुरस्कार राशि :

हिन्दी भा-ना में लिखित/अनूदित एवं प्रकाशित पुस्तकों पर निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे-

#### (i) तकनीकी पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार

हिन्दी में डिग्री स्तर (यूजी/पीजी) की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 1,25,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 75,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 50,000/-

हिन्दी में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 75,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 50,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 40,000/-

हिन्दी में आईटीआई / तकनीशियन स्तर की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 50,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 40,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 25,000/-

(ii) अंग्रेजी अथवा अन्य भाषा से हिन्दी में अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों के लिए पुरस्कार

हिन्दी में डिग्री (यूजी/पीजी) तथा डिप्लोमा स्तर की अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 50,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 40,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 25,000/-

हिन्दी में आईटीआई / तकनीशियन स्तर की अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रु. 40,000/-
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रु. 25,000/-
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रु. 15,000/-

#### 5. पुरस्कार योजना में भाग लेने की पात्रता :

- (i) सभी भारतीय नागरिक पुरस्कार योजना में भाग ले सकते हैं। इस योजना में मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार की पुस्तकों पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।
- (ii) जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

#### 6. सामान्य शर्तें :

- (i) आवेदन पत्र के सभी कॉलमों में पूरी एवं सटीक जानकारी दी जाए। विशेष रूप से डाक पता एवं दूरभाष संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख अवश्य किया जाए।
- (ii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बाँट दी जाएगी।
- (iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों की चयन प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- (iv) सभी पुरस्कार हर वर्ष में दिए जाएंगे। यदि किसी वर्ष में चयन समिति की राय में, किसी वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई भी प्रविष्टि उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।
- (v) परिषद् को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का मूल्यांकन करने और मूल्यांकन के लिए निर्धारित नियमों/विनियमों में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार होगा।
- (vi) प्रविष्टि के साथ संलग्न की गई पाठ्यपुस्तकों की प्रतियाँ परिषद् की संपत्ति मानी जाएंगी तथा तत्पश्चात् उन पर लेखक और / अथवा अनुवादक का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

#### 7. मूल्यांकन समिति :

पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन हेतु परिषद् एक मूल्यांकन समिति गठित करेगी जिसमें समिति के अध्यक्ष के अलावा अन्य विनय विशेषज्ञ सदस्य होंगे। प्राप्त प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विनय विशेषज्ञों को इस समिति में सहयोजित किया जा सकेगा।

**8. आवेदक /आवेदकों के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य बातें :**

- (i) आवेदन-पत्र पर लेखक/लेखकों और/अथवा अनुवादक/अनुवादकों का फोटो अवश्य लगा हो तथा उस पर उसके/उनके हस्ताक्षर अवश्य हों ।
  - (ii) निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  - (iii) यदि कोई लेखक / अनुवादक अपनी एक से अधिक पुस्तकें पुरस्कार के लिए प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पुस्तक के लिए अलग आवेदन-पत्र देना होगा ।
  - (iv) संपर्क के लिए वर्तमान पता, स्थायी पता तथा टेलीफोन/मोबाईल नं. तथा ई-मेल (यदि कोई हो) का उल्लेख अवश्य करें । यदि निकट भवि-य में उनके अनयत्र स्थानांतरित होने की संभावना हो, तो भवि-य के संपर्क सूत्र का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए ।
  - (v) अनूदित पुस्तक के मामले में मूल लेखक की अनुमति/सहमति संलग्न करें ।
  - (vi) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि-द् के पास पाठ्यपुस्तकों को पुरस्कार हेतु स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार होगा और इस वि-य में परि-द् का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
  - (vii) पुरस्कारों के मूल्यांकन/निर्धारण के संबंध में परि-द् का निर्णय सभी आवेदकों/लेखकों /अनुवादकों के लिए अंतिम व सर्वमान्य होगा ।
  - (viii) जिन लेखकों की जिस पुस्तक को पूर्व में कभी भी अभातशिप द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। कृपया उस पुस्तक को नई प्रविष्टि के रूप में दोबारा न भेजे अभातशिप द्वारा पहले से पुरस्कृत-पुस्तक को दोबारा प्रविष्टि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भले ही वह उस पुस्तक का संशोधित संस्करण ही क्यों न हो। तथापि पुरस्कार विजेताओं द्वारा लिखी गई किसी अन्य पुस्तक को जिसे अभातशिप से पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्रविष्टि के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।
  - (ix) पुस्तक पर पुस्तक के प्रथम संस्करण के प्रकाशन का वर्ष स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ।
  - (x) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया हो। प्रविष्टि के लिए भेजी जाने वाली पुस्तक को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया हो ।
9. प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की 2 प्रतियां लेखकों और अथवा अनुवादकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि-द् के कार्यालय में दिनांक 30 जून, 2021 तक विधिवत् भरे हुए निर्धारित प्रारूप के साथ भेजनी होंगी।